न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 408/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. जोगा सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलकरण सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. नाजर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसप्रीत कौर पुत्री श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 12-02-24

वादीगण जोगा सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण नाजर सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की बहिन है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 65/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.339 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है [illegible] उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से [illegible] होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में आने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2

लगातार --2

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.03.15 12:16:35 IS
Reason: SelfAttested

के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 2 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 1 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :–

(क) **वादीगण जोगा सिंह एवं बलकरण सिंह पुत्रगण श्री नाजर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :–**

तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 65/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.518 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 नाजर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–**

तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 65/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.821 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी सं. 1 के द्वारा तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श–1 [illegible] वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा [illegible] पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.15 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा

लगातार --3

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 65/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.339 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 65/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.339 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.518 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.15 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 408/2023

जोगा सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बलकरण सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

नाजर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

जसप्रीत कौर पुत्री श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष मुकदमे इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 65/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.339 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.518 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X...... निल ....X...... मुब्लिक ....X..........निल ......X...... बाबत् ...X.........

निल..........X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज से तारीख वसूलयाबी तक ....X.......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kuma
Meena
Date: 2024.03.15 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी